for disabled children has suddenly been stopped; if so, the reasons therefor;

- , (c) whether any Member of Parliament for Nagpur has bought to the notice of Government;
- (d) if so, by when the papers have been submitted by the said institution and reasons for holding up grants; and
- (e) by\ when Government prcpo-e to release the grants to the said Sangh?

THE MINISTER OF WELFARE SHRI SITARAM 'KESRI): (a) No, Sir. However in cases 'where recommendations of the State Governments are not received or proposals are incomplete, grant is released only after receipt of requsite information.

- (b) The continuing grant for the project for the disabled children being given to he organisation, Ma'tru Seva Sangh, Nagpur has not been stopped.
 - (c) Yes, Sir.
- (d) and (e) The recommendation of the State Government for the project submitted by the Institution was received On 10-2-95. Grant was, thereafter released for 1994.95 in March, 1995.

National Commission for minorities

6709. SHU K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of WELFARE be plaesed to state:

- (a) whether the National Minorities Commission has given its opinion on the Wakf Bill 1993; and
- (b) if so, what are the objections raised by 'he National Commission for Minorities on the Wakf Bill 1993?

THE MINISTER OF WELFARE [SHRI SITARAM KESRI):, (a) Government have received a letter

dated 20.3.1995 from the Chairman, National Commission for Minorities.

(b) The Chairman. National Commission for Minorities has stated, inter alia. that the introduction of the Waiif Bill 1993 in the Rajya Sabha be deferred till the broad consultation were held with all those who are interested in the matter.

अन्य पिछड़े घर्गों के लिए जाति प्रमाणपत

6710 श्रीनरेस पाडवः क्या कल्याण मंत्री यह बनाने की कुरा करेंगे कि :

- (क) स्या अन्य िष्ठ निर्मा की जाति प्रमाण-पत्न जारी करने के लिए हाल ही में उच्यक्त न्यायालन हारा निर्मारित की गई नीति के अंतर्गत जाति प्रणाण-पत्न प्राप्त करने की प्रक्रिया अस्यंत बोझिल तथा लम्बी है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अयोग क्या है ;
- (ग) बना सरकार इस कार्य को करने के लिए तथा कम से कम समयावधि में जाति प्रमाणपत उपलब्ध कराने के लिए अभीण क्षेत्रों में जाम पंचायतों के प्रधान तथा मुखिया और शहरी क्षेत्रों में बांड श्रायुक्त को आमिल करने पर विचार कर रही है; और
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कत्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी)
(क) और (ख) कुमारी माधुरी पाटिल तथा ग्रन्य ग्रपीलकर्ताओं बनाम ग्रपर ग्रायुक्त, ग्रादिवासी विकास विभाग, थाने—सिविल ग्रपील सं० 5054, 1994 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा ग्रन्य पछड़े वर्गों की सामाजिक स्तर प्रमाण पत्न जारी करने में राज्य सरकारों की प्रक्रिया में एकरूपता लाने का निर्देश दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय

की यह निर्धारित करने के उद्देश्य से जांच की जा रही है कि केन्द्रीय सरकार हारा राज्य मरकारी/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनी को इस विषय पर आगे क्या-क्या अन्देश भेजना अपेक्षित है।

Written Answers

(ग) जी, नहीं 🞼

(घ) साक्षाजिक स्तर का प्रमाण पत जारी करने में राज्य सरकारी/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के उचित स्तर के राजस्व प्राधिकारियों के स्तर पर छानवीन, जांच भामिल है। इसे प्रामीण क्षेत्रों में पंचायती के प्रधान तथा मुखिया और महरी क्षेत्रों में बार्ड श्राय्वतों को लुपुर्द नहीं किया जार्रे सकता ।

Non-official Directors in NMFDC

- 6711. SHRI K. RAHMAN KHAN; Will the Minister of WELFARE be pleased to slate:
- (a) whether Non-official Directors have been nominaLed on the Board of National Minorities Finance Development Corporation;
- (b) if so, how many Directors have been nominated and their names; and
- (c) if not, whether Government propose to nominate a few non official Diectors on the Board, from members who have professional skills?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) Yes, Sir.

- (b) One, Shri Mohd Hidayatullah Khan, former Speaker and former Cabiet Minister, Bihar.
 - (c) Docs not arise in view of (a) above.

अनुसूचित जन अमित क्षेत्रों संबंधी समिति

6.712. श्रीमहेश्वर सिंह: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

·(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में कुछ और क्षेत्रों को अनुसुचित जन-जाति क्षेत्रों तथा कुछ ग्रीर जातियों को अनुसूचित जन जातियों के रूप मे घोषित करने के लिए प्राप्त हुए ग्रावेदन पत्नों, प्रस्ताबों एवं सिकारिकों पर विचार करने हेतु समिति का गठन किया है ;

to Questions

- (ख) यदि हां, तो इन गाम तों का राज्य-वार स्योरा क्या है तथा प्रत्येक भागला कब से विचाराधीन हैं;
- (ग) क्या समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तृत करने के लिए कोई तिथि निर्धारित की गई है, ग्रौर
- (घ) यदि हां, तो कव तक तथा ादि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्रीसीता राम केसरी): (क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जोतियाँ की मुची में परिवर्तन श्रथवा संशोधन से संबंधित िभिन्न मामलों का **अध्ययन करने के लिए एक मुलाहकार** समिति गठित की गई है जिसमें अन्य वातों के साथ-साथ, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की श्रनुसूचित जनजातियों की युचियों में कुछ और समुदायों को शामिल करने का मामला भी कामिल है। कुछ श्रौर इलाकों को श्रनुसुचित जन जाति क्षेत्र घोषित करने पर विचार करने के लिए कोई समिति गठित नहीं की गई है।

- (ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जनजानियों की सूचियों में 650 समुदायों को शामिल शहने का प्रस्ताव समिति के विचाराधीन है। लोक-हिंद में प्रस्ताब थार ब्यौरा उजागर **न**हीं किया जा सकता।
- (ग) और (घ) समिति से ऋशा है कि वह ग्रपनी रिपोर्ट 30 जून, 1995 तक प्रस्तुत करेगी।

Post-Matric Scholarship to students in Madhya Pradesh

- 6713. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of WELFARE be pleased to
- (a) how many students of general, SC, ST and OBC categories were pro-